तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भागुराम बनाम भानाराम अपील 75 प्रकरण निरस्त 5/2021	
2/3/2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर मे राजस्व अपील सख्या 115/2017 मे निर्णय दिनांक 11.02.2021 के द्वारा इस न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनॉक 07.06.2017 को निरस्त किया गया तथा इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार करते हुये न्यायालय हाजा मे दिनॉक 27.01.2021 को प्रस्तुत राजीनामे का मूल प्रार्थना पत्र को नियमानुसार पोषणीय होने पर तस्दीक करते हुये विधि सम्मत राजीनामे की सह मे नये सिरे से आदेश करें। माननीय न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने दिनॉक 02.03.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है जो कि उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनॉक 27.01.2021 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जोधपुर मे पेश हुआ तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा तस्दीक करते हुयें नये सिरे से आदेश करते हुये उक्त अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन कियां। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील सख्या 115/2017 मे निर्णय दिनॉक 11.02.2021 के द्वारा इस न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 07.06.2017 को निरस्त किया गया तथा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनॉक 27.01.2021 को तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णय किया जाना है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनॉक 02.03.2021 को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 उपस्थित हुये तथा इनकी पहचान अपीलान्ट अधिवक्ता नवरतन चारण एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता कमलसिह चारण द्वारा की रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 की पहचान श्री नवरतन चारण द्वारा की होंने एवं दिनॉक 02.03.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने पर राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनॉक 27.01.2021 को तस्दीक	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

किया जाता है। तथा इस न्यायालय मे प्रथम अपील सख्या 10/2013 भागूराम बनाम भानाराम मे प्रसारित निर्णय दिनॉक 07.06.2017 का निर्णय निरस्त किया जा चुका है। इस कारण से नामान्तरकरण सख्या 13 ग्राम बिडासनी दिनॉक 06.12.1974 ग्राम पंचायत खेजडली कला को पुनःअपीलान्ट के पक्ष मे स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी